

संख्या.ए1/320/आईसीटीटी कम्पीटिवनेस/2020/टी

दि.15.03.2021

व्यापार सूचना संख्या 02(ए)/2021

विषय: आईसीटीटी में कंटेनर जहाजों के लिए पोत संबंधी प्रभारों(वीआरसी) में अनुपूरक छूट।

कोचिन पोर्ट के न्यासीमण्डल ने दि.24.02.2021को सम्पन्न अपनी बैठक की संकल्प संख्या 145 में आईसीटीटी में आनेवाले कंटेनर जहाजों के लिए पोत संबंधी प्रभारों(वीआरसी) में 01.11.2020 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित अनुपूरक छूट की अनुमति को मंजूरी दी है।

ए) वही परिचालक द्वारा मुख्यधारा की सेवाओं के लिए (*) परिभाषित किसी भी बंदरगाह से जुड़े मुख्यधारा के कंटेनर जहाजों(तदर्थ) के लिए वीआरसी में छूट।
(मुख्यधारा के कंटेनर जहाज सेवाओं के लिए लागू न होगा)

क्यूसी- कॉल जहाजों की संख्या	एमजीटी-कंटेनरों की संख्या(टीईयू)	छूट(%)
13 सप्ताह के एक तिमाही में न्यूनतम 10 कॉल	6,400 13 सप्ताह के एक तिमाही में	85

(*) मुख्यधारा के कंटेनर जहाज कॉल को "जहाज कॉल" के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चीन, कोरिया या जापान के किसी भी बंदरगाह में अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट ऑफ कॉल शामिल हैं।

बी) कोलम्बो के अलावा या तो सीधे या तूतीकोरिन के माध्यम से (*)कोलम्बो को न जोड़ने वाले विदेशी गंतव्यों के लिए फीडर सेवाओं के लिए वीआरसी पर छूट।

जीआरटी	योग्यता मानदण्ड	एमजीटी-कंटेनरों की संख्या(टीईयू)	छूट(%)
40,000 एवं इससे ऊपर	13 हफ्तों में 11 कॉल	6000	80

(*) यह योजना बांग्लादेश के फीडर सेवाओं के लिए लागू न होगा।

सी) बांग्लादेश (*)या तो सीधे या किसी भी भारतीय बंदरगाह के माध्यम से, के फीडर सेवाओं के लिए वीआरसी पर छूट।

क्र.सं.	योग्यता मानदण्ड	छूट(%)
1	30 दिनों में 4 कॉल	80
2	30 दिनों में 3 कॉल	60
3	30 दिनों में 2 कॉल	40


(*) उपरोक्त छूट का 50% (यानी 40%, 30% और 20% क्रमशः क्रमांक 1,2 और 3) भारत-बांग्लादेश तटीय नौवहन समझौते के तहत तटीय टैरिफ के हिसाब से जहाजों के लिए लागू होगा।

डी) विशाखापट्टनम, कोलकाता और हलदिया में तटीय फीडर सेवाओं के लिए वीआरसी पर छूट

क्र.सं.	योग्यता मानदण्ड	तटीय दरों में छूट(%)
1	30 दिनों में 4 कॉल	40
2	30 दिनों में 3 कॉल	30
3	30 दिनों में 2 कॉल	20

नोट:

- (ए) योजना के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए, जहाजों को उपर्युक्त बंदरगाहों और कोचिन के बीच सीधे या किसी भारतीय बंदरगाह के मार्ग में प्लार्ई करना आवश्यक है।
- (बी) 29.11.2019 से संशोधित, प्रचलित एसओआर में वीआरसी में वृद्धि छूट दी गई विदेशी जहाजों के लिए लागू न होगा, हालांकि, टैम्प द्वारा अनुमोदित टैरिफ में आवधिक सूचकांक लागू होंगे।
- (सी) योग्यता मानदंडों को पूरा करने के उद्देश्य से, उस सेवा में पहले जहाजों के आगमन की तिथि से दिन / सप्ताह की गणना की जाएगी।


यातायात प्रबंधक

प्रति: कोचिन स्टीमर एजेंट एसोसिएशन, कोचिन -3
कोचिन कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन, कोचिन -9
कोचिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज कोचिन-3
मेसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्रा.लि., वल्लारपाडम
सभी विभाग प्रमुख, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
उपाध्यक्ष के निजी सचिव, उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, अध्यक्ष के सूचनार्थ